कानूनी जागरूकता शृंखला - 27

सूचना का अधिकार

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर (म.प्र.)

कानूनी जागरूकता शृंखला - 27

सूचना का अधिकार

- कोड नं. : 004 (III)
- प्रस्तुति : विमलेश व्यास, नियति सप्रे
- सम्पादन : तारा जायसवाल
- चित्रांकन : इस्माइल लहरी
- संस्करण : जनवरी 2007
- प्रतियाँ : 1000
- मूल्य : रु. 8.00

© प्रकाशकधीन

- प्रकाशक : राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा,
भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (म.प्र.)
महालक्ष्मी नगर, सेक्टर आर, इन्दौर 452 010
फोन : 2551917, 2574104 फैक्स - 0731-2551573
E-mail : srcindore@dataone.in
literacy@satyam.net.in
Web.: www.srcindore.org

- मुद्रक : मेहता ग्राफिक्स एण्ड प्रिन्टर्स
खजूरी बाजार, इन्दौर
फोन : 2455596

आमुख

जनसामान्य के हित के लिए शासन द्वारा अनेक कल्याणकारी कानून बनाए गए हैं। प्राय: कानूनों की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नवसाक्षरों को सरल भाषा में कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण कानूनों पर पुस्तिकाओं की एक शृंखला प्रकाशित की जा रही है।

प्रस्तुत पुस्तिका में सूचना के अधिकार की जानकारी सरल भाषा में अभिभाषक **श्री विमलेश व्यास** तथा **श्रीमती नियति सप्रे** द्वारा प्रस्तुत की गई है। चित्रांकन **श्री इस्माइल लहरी** द्वारा किया गया है। केन्द्र इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है।

आशा है कि यह पुस्तिका नवसाक्षरों को सूचना के अधिकार की जानकारी प्रदान करने में सहायक होगी। पुस्तिका के सम्बन्ध में सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा।

कुन्दा सुपेकर
निदेशक
राज्य संसाधन केन्द्र
प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर (म.प्र.)

शाला भवन कब तक बनेगा

"रामू काका, शाला भवन का काम शुरू हुए एक साल हो गया। तुम तो कह रहे थे 8-9 महीने में बन जाएगा"। किसना ने पूछा।

"मुझे तो सरपंचजी ने बताया था। बड़े लोगों की बड़ी बातें। हम क्या जानें ? और किसना तुझे जानकर करना भी क्या है ? तू तो हल उठा और खेत पर जा।" रामू काका ने कहा।

"पर मुझे तो जानना है न।" - किसना ने कहा।

"तू क्या करेगा जानकर ? क्या तुझे स्कूल जाना है ?" सभी ने किसना का मजाक बनाया और हँस पड़े।

"मुझे नहीं जाना है। मैं तो दसवीं पास हूँ। मुझे तो सोना बेटी को स्कूल भेजने की जल्दी है। पर शाला भवन का काम तो हनुमान की पूँछ की तरह बढ़ता ही जा रहा है।" किसना ने कहा।

"तो तू चला जा सरपंचजी के पास और उनसे पूछ कि काहे इतनी देर कर रहे हो।" - रामू काका ने फिर किसना को परेशान करते हुए कहा।

"मैं पूछने जाऊँ और वो मुझे भगा दें। फिर तुम लोगों को हँसने का कारण मिल जाए, है ना!" किसना ने कहा।

दूर बैठा सोहन बहुत देर से सभी की बातें सुन रहा था। उसने पास आकर कहा - "हमारे गाँव में जो भी निर्माण कार्य हो रहा

है, उसके बारे में जानकारी लेना हमारा अधिकार है। हम यदि इसकी उचित जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।"

सोहन की बात सुनकर रामू काका जोर से हँसे और बोले - "यह शहर जाकर बाबू बन गया है। क्या हम मेहनत - मजदूरी करने वाले लोग सरकार से जवाब-तलब करेंगे ? भैया, ऐसी बातें न सिखाओ हमें।"

"नहीं काका, हम सभी इस देश के नागरिक हैं। हर नागरिक को सूचना (जानकारी) प्राप्त करने का अधिकार है।" सोहन ने कहा।

"पर बेटा हमारी बात कौन सुनेगा ?" - रामू काका ने पूछा।

"आप सबको मिलकर एक आवेदन-पत्र देना होगा। जो जानकारी आपको चाहिए उसके बारे में लिखना होगा। उसमें अपना नाम, पता सब साफ-साफ शब्दों में लिखना होगा।" - सोहन ने बताया।

"उसमें क्या लिखेंगे?" - किसना ने पूछा ।

"जिस बात की हमें जानकारी चाहिए वह लिखना होगी।" सोहन बोला।

"आवेदन-पत्र में क्या हमको हमारा नाम भी लिखना होगा ?" रामू काका ने पूछा।

"हाँ बिल्कुल ! नाम, पता सब स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा।" सोहन बोला।

"फिर तो भैया मैं इसमें शामिल नहीं होऊँगा। सरपंचजी को पता पड़ जाएगा।" किसना घबराकर बोला।

"तो क्या हो गया ? यह हमारा अधिकार है। हमारे पैसों का क्या उपयोग हो रहा है, यह जानना हमारा कर्त्तव्य भी है।" सोहन ने समझाते हुए कहा।

"चलो किसना हम सब मिलकर एक आवेदन-पत्र देते हैं।" रामू काका ने कहा।

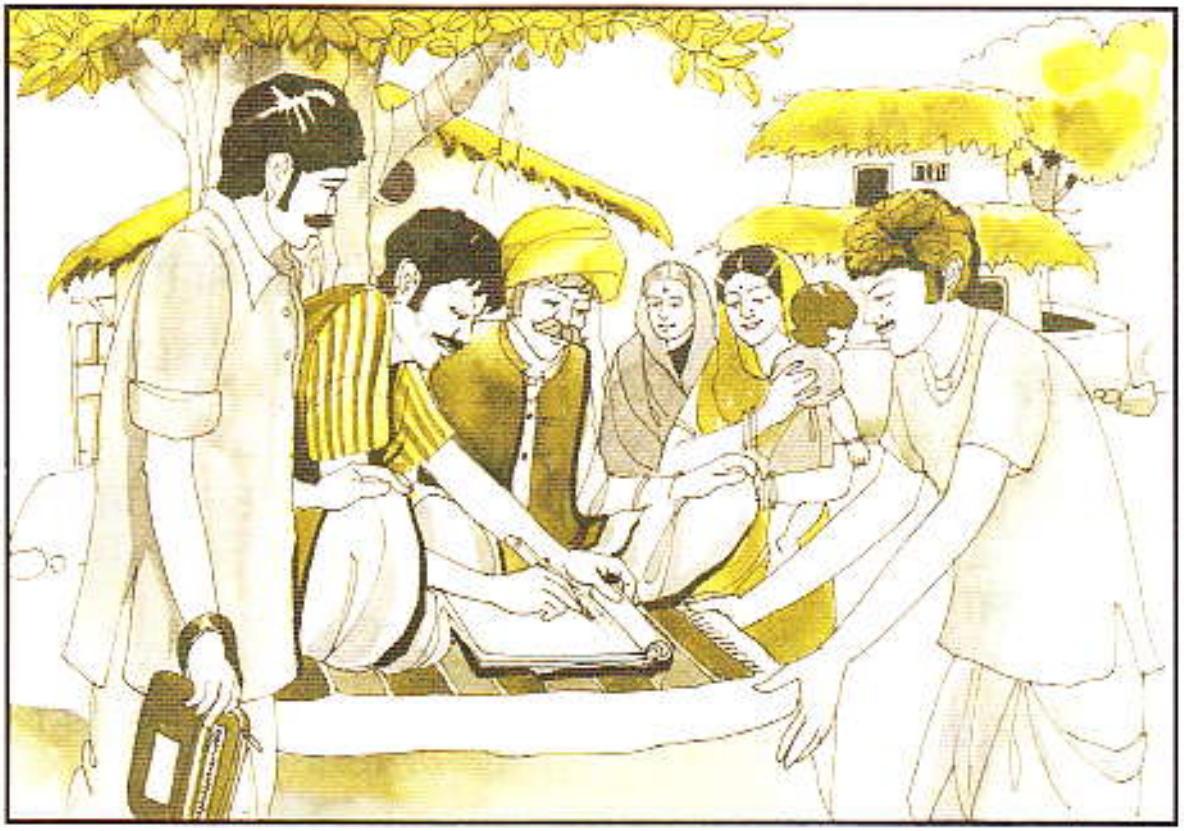

"हाँ काका, ऐसा ही करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं।" सोहन ने कहा।

उन सबने मिलकर एक आवेदन-पत्र दिया। आखिर उन्हें "सूचना का अधिकार" जो मिल गया था। रामू काका, किसना, जमना, मंगल सबको अपने अधिकार के बारे में जानकर खुशी हुई।

सूचना का अधिकार अधिनियम

यह अधिनियम सन् 2005 से लागू हुआ। 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अंतर्गत अब सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करना देश के हर नागरिक का कानूनी अधिकार है।

इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है -

- सरकार का कोई भी विभाग क्या काम करता है।
- उसके क्या नियम हैं। वह किस तरह से कार्य कर रहा है।
- उसने कितना कार्य पूर्ण किया है।
- उसमें कितना खर्च किया गया है।
- किन-किन लोगों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है।
- उसकी गुणवत्ता व अन्य जानकारियाँ ।

अब एक आम आदमी को भी सरलता से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। इसके पहले यह इतना आसान नहीं था।

उदाहरण - किसी ग्राम में पंचायत भवन/स्कूल आदि का निर्माण किया जाता है तो उसके तहत आम जनता की जानकारी के लिए सूचनापटल पर निम्नानुसार दर्शाया जाना जरूरी है।

- जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसका क्षेत्रफल
- कितने क्षेत्रफल (लंबाई-चौड़ाई) पर निर्माण किया जाएगा
- कितना क्षेत्र खुला रखा जाएगा
- ठेकेदार/कम्पनी का नाम
- कितने समय में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा
- उसमें कौन-कौन-सी सामग्री का उपयोग किया जाएग
- उसकी गुणवत्ता और उसकी लागत आदि।

उद्देश्य

सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने का उद्देश्य है -

- सरकार के कार्यों में खुलापन लाना।
- सूचना के अधिकार के द्वारा लोक अधिकारी (सरकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी) तथा जनप्रतिनिधि के कार्यों पर नियंत्रण रखना।

- जनप्रतिनिधियों तथा सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना ताकि जनता के पैसों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जा सके।
- सरकार द्वारा जनता में जानकारियों की जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'सूचना का अधिकार' कानून बनाया गया है।

सूचना पाने के लिए शर्तें

- सूचना पाने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो।
- आवेदन-पत्र लिखित में संबंधित विभाग को भेजा जाए।
- जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हो उसके संबंध में स्पष्ट शब्दों में लिखना आवश्यक है।
- निर्धारित शुल्क (आवेदन-पत्र के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ संलग्न) जमा कराना होगा।
- आवेदन-पत्र में सूचना प्राप्त करने वाले का पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, टेलीफोन नंबर अगर हो तो लिखना जरूरी है।
- आवेदक को यह भी बताना होगा कि वह सूचना कौन-से माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। जैसे - लिखित में या इलेक्ट्रानिक माध्यम या टेलीफोन आदि से।

- सूचना प्राप्त करने का उचित कारण होना जरूरी है।
- ऊपर लिखे अधिकार के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी/ विभाग 5 दिनों में पता करके संबंधित अधिकारी को सूचना देने के बारे में बताएगा। उसके 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी प्राप्त हो गई है अथवा नहीं। अगर मिल गई है तो उसका (शुल्क) चार्ज भी लगेगा। प्रति पेज जो भी शुल्क होगा, वह उसकी जानकारी देगा।
- सूचना प्राप्तकर्ता के द्वारा यदि चाही गई सूचना उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंध रखती हो तो ऐसी दशा में वह 48 घंटों के अन्दर सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

सूचना के अधिकार के संबंध में सरकार की जिम्मेदारी

- शासन सभी दस्तावेजों की सूची/तालिका बनाकर रखता है। इससे वह समय पर सरलता से प्राप्त हो सकती है।

आजकल सभी दस्तावेजों को कम्प्यूटरीकृत किए जाने की कोशिश की जा रही है।

- शासन द्वारा सभी महत्वपूर्ण जानकारी जनता को रेडियो, टी.वी., समाचार-पत्रों आदि के द्वारा दी जाती है। यह जानकारी इन्टरनेट से भी प्राप्त की जा सकती है।

समाचार-पत्रों में आए दिन शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। जैसे - किस स्थान पर बाँध बनाया जाएगा। उसमें कितनी लागत आएगी। उसमें राज्य शासन व केन्द्र शासन की क्या भागीदारी रहेगी, इसका उल्लेख किया जाता है। कितनी अवधि में यह कार्य पूर्ण हो सकेगा आदि प्रकार की जानकारियाँ होती हैं। इसके अलावा भी यदि कोई व्यक्ति अधिक जानकारी चाहता है तो इस सूचना के अधिकार का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने को वह स्वतंत्र है।

सूचना पहुँचाने का तरीका

शासन द्वारा निम्न प्रकार से सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं

- सूचना बोर्ड द्वारा
- समाचार-पत्र द्वारा
- लोक घोषणा द्वारा
- रेडियो, टेलीविजन द्वारा

- इन्टरनेट द्वारा
- संबंधित विभाग द्वारा
- अन्य उपलब्ध साधनों के द्वारा।

अपील करने का अधिकार

यदि व्यक्ति द्वारा चाही गई सूचना दिए गए समय में प्राप्त नहीं होती है या उसका आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो संबंधित व्यक्ति उस विभाग के विरुद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय/अधिकारी को अपनी अपील पेश कर सकता है।

कौन-सी सूचनाएँ प्राप्त नहीं की जा सकती हैं

- देश की एकता व अखण्डता से संबंधित
- राज्य की सुरक्षा से संबंधित
- वैज्ञानिक एवं आर्थिक हित से संबंधित
- विदेशों में की गई सन्धि
- ऐसी कोई सूचना जो देश हित, सुरक्षा आदि को नुकसान पहुँचाती हो
- ऐसी कोई भी सूचना जिससे न्यायालय का अपमान होता हो।

कानूनी जागरूकता सम्बन्धी हमारे प्रकाशन

• मजदूरी कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• हिन्दू विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• भरण - पोषण कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• हिन्दू उत्तराधिकार कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य	नागरिकों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों से संबंधित जानकारी
• फौजदारी कानून	फौजदारी कानून की जानकारी
• बालश्रम कानून	बालश्रम कानून की जानकारी
• उपभोक्ता संरक्षण कानून	उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी
• साहूकारी अधिनियम	साहूकारी अधिनियम की जानकारी
• बंधुआ मजदूरी कानून	बंधुआ मजदूरी कानून की जानकारी
• कारखाना अधिनियम	कारखाना अधिनियम की जानकारी
• लिंग परीक्षण अधिनियम	लिंग परीक्षण अधिनियम
• समान वेतन अधिनियम	समान वेतन कानून
• न्याय की राह	बलात्कार कानून
• अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून	अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून
• मोटरयान अधिनियम	मोटरयान अधिनियम
• हमारे जंगल-हमारी धरोहर	कारखाना अधिनियम की जानकारी
• नि:शुल्क विधिक सहायता	नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी
• मुस्लिम विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• कृषि उपज मंडी अधिनियम	कानून से संबंधित जानकारी
• अनैतिक उपज मंडी अधिनियम	कानून से संबंधित जानकारी
• भारतीय ईसाई विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• नोटरी के कार्य	कानून से संबंधित जानकारी
• मुख्तियारनामा	मुख्तियारनामा तैयार करने की विधि

प्रकाशक

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा

भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (म.प्र.)

महालक्ष्मी नगर, सेक्टर आर, इन्दौर 452 010 (म.प्र.)

फोन : 2551917, 2574104 फैक्स - 0731-2551573

मुद्रक : मेहता ग्राफिक्स एण्ड प्रिन्टर्स, खजूरी बाजार, इन्दौर फोन : 2455596